दिनांक हुक्म	कार्यवाही
1/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। बावजूद पुकारवाने आवाज तीन मर्तबा कोई उपस्थित नहीं। पूर्व आदेशानुसार तंबाकी की पेशी नहीं की गई। मूल वाद भी खारिज किया जा चुका है। प्रा. प्र. O. 9 R. 3 व 5 CPC खारिज किया जाता है। प्रा. कौशल सुमार होकर वाद वकील व वकील वापिस लेवे।

उपखण्ड अधिकारी
आलनवाड़